

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।

### नीलामी उदघोषणा

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय कासगंज के अनुमोदन आदेश दिनांक 25.07.2025 के अनुपालन में जनपद न्यायालय मामों कासगंज परिसर में स्थित तीन आम के छोटे बागों (कुल 184 आम के पेडा) की आगामी दो फसल नीलामी अवधि ( दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 31.08.2027 तक ) दिनांक 13.08.2025 को सांय 4.30 बजे जनपद न्यायालय कासगंज के भूतल पर स्थित मीटिंग हॉल में सम्पादित की जायेगी, इच्छुक व्यक्ति समय पर उपस्थित होकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठेके में शामिल होने के लिये प्रत्येक बोलीदाता को 11.08.2025 की शाम 05.00 बजे तक न्यायालय के केन्द्रीय नजारात अनुभाग में अपनी-अपनी जमानत धनराशि के साथ एक आईडी0 प्रूफ जमा करना होगा। ठेके का विवरण एवं शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारात, जनपद न्यायालय कासगंज से प्राप्त की जा सकती है।

जनपद न्यायालय मामों कासगंज परिसर में स्थित तीन आम के छोटे बागों (कुल 184 आम के पेडा) की आगामी दो फसल नीलामी अवधि ( दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 31.08.2027 तक ) के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम व शर्तों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया की जानी है।

1. ठेके की अवधि केवल आगामी दो फसल हेतु ( दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 31.08.2027 तक ) के लिये मान्य होगी।
2. सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता के पक्ष में ठेका स्वीकृत किया जायेगा।
3. प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने से दो दिन (11.08.2025 की शाम तक) पूर्व अंकन 5000/- रुपये जमा करना होगा तथा साथ में अपना आईडी0 प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
4. बोली बोलने वाला प्रत्येक व्यक्ति काली सूची के अर्न्तगत न आता हो, तथा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही किसी प्रकार का कोई मामला विचाराधीन हो।
5. ठेके की धनराशि का 1/4 भाग ठेका स्वीकृति के समय जमा करना होगा, शेष 1/4 भाग माह जनवरी 2026 में जमा करना होगा तथा शेष 1/4 भाग माह जून 2026 में तथा शेष 1/4 भाग दिसम्बर 2026 में जमा करना होगा।
6. बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, कासगंज के पास सुरक्षित रहेगा।
7. ठेका स्वीकृत होने के उपरान्त बागों में सिचाई, दवाओं का छिडकाव, नराई-गुराई इत्यादि का खर्च ठेकेदार को स्वयं करना होगा। विभाग द्वारा किसी भी धनराशि का वहन नहीं किया जायेगा।
8. ठेकेदार को वागो की साफ-सफाई एवं वागो के आस-पास की जगह की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी।
9. ठेकेदार के पक्ष में छोड़े गये ठेके की धनराशि के मूल्य के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र स0 31/एस दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार ठेकेदार को बोली के पश्चात 100/- रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

दिनांक:- 26.07.2025

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष स0- 01,  
कासगंज।

#### **प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O. No.562/19-2-2007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. 18 न्यायालय कक्ष भवन जनपद न्यायालय कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
3. कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक:- 26.07.2025

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष स0- 01,  
कासगंज।